31 | 10/2

पत्रावली पेश हुई, पत्रावली
उपस्थित। आवेदिका के द्वारा पेश शपथपत्र
किया गया, विविध प्रकरण के लिये
दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली
फैसला सुनाए हेतु रखा है जाये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 218/2014
दायर दिनांक :– 19.12.2014

अनवान

जमना लाल मुतबन्ना झुम्मा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
वादी.........

बनाम

1. हरनाथ पिता बिरमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
2. गलकू पत्नि कैलाश मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री बद्रीलाल मीणा, वकील वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 31.10.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा में आराजी संख्या 3037 रकबा 16 बिस्वा भूमि वादी के नाम दर्ज होकर चली आ रही है वादी ही उक्त भूमि का लगान जमा कराता आ रहा है। वादी भारतीय सैना मे सेवारत होने से अधिकांश समय बाहर रहता है इस भूमि पर वादी की पत्नी ही कास्त करती है व देखरेख करती है। वादी की उक्त भूमि पर फसल की बुआई कटाई निराई करते समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। इस कारण वादी ने अपनी आराजी की सही सीमा ज्ञान कराने के लिए न्यायालय श्रीमान द्वारा पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया है। भूअभिलेख अधिकारी जहाजपुर द्वारा पत्थरगढी आदेश की पालना दिनांक 22.05.2014 को ग्राम बिन्ध्याभाटा के आराजी संख्या 3037 की पत्थरगढी की जिसका पर्चा मौका बनाया गया जिसमें वादी की आधी भूमि पर प्रतिवादीगण अवैध एवं नाजायज कब्जा पाया गया। वादी ने प्रतिवादीगणों का कब्जा छोडने हेतू मौखिक निवेदन किया पर प्रतिवादीगण कब्जा छोड़ने पर नाराजगी जाहिर कर मना कर दिया ओर लडाई झगडा पर उतारू हो गये प्रतिवादीगणो ने वादी को कहा कि कब्जा लेना है तो हमारे विरूद्व वाद दायर कर कब्जा ले लेना। प्रतिवादीगण धनिक परिवार के व्यक्ति होकर अवैध कब्जा करते रहते है और वादी के द्वारा कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

छोडने को कहते है तो प्रतिवादीगण की महीलाओ से गाली गलोच करवाते है ओर कहते है कि खेत पर आकर देखना इस कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 22॰05॰2014 को कब्जा छोडने से इन्कार कर देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः वर्णित कृर्षि आराजी 3037 रकबा 16 बिस्वा भूमी से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा को हटाकर वादी को कब्जा सम्भलाये जाने की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादर पारित करावे कि प्रतिवादीगण से अवैध कब्जा हटाये जाने से पश्चात वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण न तो स्वय दखंलदाजी करे ना अपने नोकर चाकर आदि से करे करावे कि स्थाई निषेधाज्ञा से की की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादर पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने वादपत्र की ताईद में खाता सं. 93 नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 की प्रति प्रदर्श 1, नक्शा ट्रैस की प्रति प्रदर्श 2, दिनांक 22.05.2014 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 3 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी जमना लाल मीणा पी. डब्ल्यु 1 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी बहस के दौरान बताया कि वादी आ. न. 3037 कुल किता 01 रकबा 0–16 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादीगण को बेदखल करा उक्त वर्णित भूमि का कब्जा वादी को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादी के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादी को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमावन्दी नकल सम्वत 2070–73 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 3037 कुल किता 01 रकबा 0–16 बीघा कृषि भुमि वादी के नाम खातेदारी से दर्ज है। आ0 स0 3037 कुल किता 01 रकबा 0–16 बीघा के आंशिक भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 ने मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 3 से होती है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होनें बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादी

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादी अपनी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी की खातेदारी भुमि खसरा नं. 3037 कुल किता 01 रकबा 0—16 बीघा के आंशिक भू भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लेने से वादी कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 3037 कुल किता 01 रकबा 0—16 बीघा पर किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना—2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

जमना लाल मुतवन्ना झुम्मा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर

वादी.........

बनाम

1. हरनाथ पिता बिरमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
2. गलकू पत्नि कैलाश मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
3. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 218/2014

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री बद्रीलाल मीणा का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि ..

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बिन्ध्याभाटा पटवार हल्का बिन्ध्याभाटा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 3037 कुल किता 01 रकबा 0–16 बीघा पर किये गये कब्जे से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.10.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner